



प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर, दिल्ली क्षेत्र,

केन्द्रीय राजस्व भवन, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली -110109

ई.मेल.पता: [ccocexdzrajbhasha@gmail.com](mailto:ccocexdzrajbhasha@gmail.com)

फा.सं.-हि./27/जीएसटी/प्रो.यो./मु.आ.का./2017

9 स 17  
11.1.2021

दिनांक: 07.01.2021

सेवा में,

प्रधान आयुक्त/आयुक्त/

उत्तरी दिल्ली/पूर्वी दिल्ली/दक्षिणी दिल्ली/पश्चिमी दिल्ली

लेखा परीक्षा-1 -/लेखा परीक्षा-2 /अपील-1/अपील-2/संवर्ग नियंत्रण

विषय: सरकारी कामकाज मूल रूप से (आलेखन /टिप्पणी)हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2020-21 के सम्बन्ध में ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय में सभी प्रभारी अधिकारियों से अनुरोध है, कि राजस्व विभाग में सरकारी काम कामकाज(टिप्पणी आलेखन)मूल रूप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2020-21 के लिए नगद पुरस्कार योजना प्रारंभ की जा रही है । कृपया अपने अपने कार्यालय/अनुभाग में अक्रयत अधिकारियों एवं कर्मिकों को उपरोक्त योजना में भाग लेने हेतु प्रेरित करें। इस योजना में भाग लेने सम्बन्धी नियम एवं दिशा निर्देश संलग्न पत्र में दिये गए हैं। योजना के अंतर्गत चयनित प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना की अवधि 01.04.2020 से 31.03.2021 तक है ।

2/ इस सम्बन्ध में, यह भी सूचित किया जाता है कि इस योजना में प्रति आयुक्तालय से 10 पुरस्कार दिये जाने हैं । अतः कृपया न्यूनतम शब्द 25000 शब्द हिंदी में लिखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत किया जाये । साथ ही, इस योजना के पुरस्कार आयुक्तालय स्तर पर दिये जाने हैं, मुख्य आयुक्त कार्यालय के स्तर से नहीं । अतः इस पत्र के साथ संलग्न दिशानिर्देशों के अनुसार समिति का गठन करें एवं इस प्रक्रिया को अप्रैल 2021 तक पूरा कर, प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय(राजभाषा अनुभाग) को सूचित करें।

संलग्न: यथोपरि

भवदीया,

का/प्र.

सहायक निदेशक(राजभाषा) 07/01/2021



प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर, दिल्ली क्षेत्र,

केन्द्रीय राजस्व भवन, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली -110109

ई.मेल.पता: [ccocexdzrajbhasha@gmail.com](mailto:ccocexdzrajbhasha@gmail.com)

फा.सं.-हि./27/जीएसटी/प्रो.यो./मु.आ.का./2017 / 62 to 70 4 71  
सेवा में, 3/5/19

दिनांक: 02.05.2019

प्रधान आयुक्त/आयुक्त/सहायक आयुक्त(मु.आ.का.)/  
उत्तरी दिल्ली/पूर्वी दिल्ली/दक्षिणी दिल्ली/पश्चिमी दिल्ली  
लेखा परीक्षा-1 /लेखा परीक्षा-2 /अपील-1/अपील-2/संवर्ग नियंत्रण

विषय: सरकारी कामकाज मूल रूप से (आलेखन /टिप्पणी)हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019-20 के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय में सभी प्रभारी अधिकारियों से अनुरोध है,कि राजस्व विभाग में सरकारी काम कामकाज(टिप्पणी आलेखन)मूल रूप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019-20 के लिए नगद पुरस्कार योजना प्रारंभ की जा रही है। कृपया अपने अपने कार्यालय/अनुभाग में अक्रयत अधिकारियों एवं कर्मिकों को उपरोक्त योजना मेंभाग लेने हेतु प्रेरित करें। इस योजना में भाग लेने सम्बन्धी नियम एवं दिशा निर्देश संलग्न पत्र में दिये गए हैं।योजना के अंतर्गत चयनित प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।उल्लेखनीय है कि इस योजना की अवधि 01.04.2019 से 31.03.2020 तक है।

2. इस सम्बन्ध में,यह भी सूचित किया जाता है कि इस योजना में प्रति आयुक्तालय से 10 पुरस्कार दिये जाने हैं। अतः कृपया न्यूनतम शब्द 25000 शब्द हिंदी में लिखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत किया जाये। साथ ही, इस योजना के पुरस्कार आयुक्तालय स्तर पर दिये जाने हैं,मुख्य आयुक्त कार्यालय के स्तर से नहीं। अतः इस पत्र के साथ संलग्न दिशा निर्देशों के अनुसार समिति का गठन करें एवं इस प्रक्रिया को अप्रैल 2020 तक पूरा कर,प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय को सूचित करें।

संलग्न:यथोपरि

भवदीया,

सहायक निदेशक(राजभाषा)

o/c